64

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष

एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 784–एक/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–5–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर – प्रकरण कमांक 231/2007–08 निगरानी.

1– श्रीमती सियावाई पत्नि रामकिशन गुर्जर
2– श्रीमती गोमती बाई पत्नि दीवानसिंह गुर्जन
3– श्रीमती कोमेश पत्नि सरदार सिंह गुर्जर
निवासीगण ग्राम कौंकर तहसील नरवर
जिला शिवपुरी म0प्र0

----- आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती कलावती पत्नि लोटन सिंह
2– महेश उर्फ महीप पुत्र लोटन सिहं
3– रामलखन पुत्र लोटन सिंह
निवासीगण कस्वा नरवर जिला शिवपुरी
4– श्रीमती मीना पुत्री लोटन सिंह
पत्नि दीवानसिंह ग्राम जुझारी
तहसील नरवर जिला शिवपुरी
5– लोटन सिंह पुत्र पंछीराम गुर्जर
निवासी कस्वा नरबर जिला शिवपुरी
6– म0प्र0 शासन

------ अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक आवेदकगण
श्री लखन धाकड़, अभिभाषक अनावेदक कमांक 1 से 4
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक कं 5

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/01/2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 231/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–5–10 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहित, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि लोटन सिंह पुत्र पॅछीराम गूजर ने तहसीलदार नरबर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मॉग की कि उसके स्वत्व की कृषि भूमि सर्वे नंबर 2066/2 रकबा 2.00 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) खसरे में दर्ज है जो शासन व्दारा वर्ष 1981-82 में उसके पिता पॅछीराम को पटटे पर दी गई थी। इस भूमि पर उसे भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं इसलिये खसरे में अहस्तांतरणीय अंकन को हटाया जावे। तहसीलदार नरबर ने प्रकरण कमांक 125/2006-07 अ-6-अ पंजीबद्व किया तथा जॉच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 17-8-2007 पारित किया तथा आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर से अहस्तांतरणीय शब्द विलोपित जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक 1 से 4 ने अपर कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष निगरानी कमांक 6/2007-08 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 31-3-2008 पारित किया तथा निर्धारित किया कि तहसीलदार ने आदेश किस धारा के अंतर्गत पारित किया है, आदेश में स्पष्ट नहीं है । पटटे की भूमि कलेक्टर की अनुमति के वाद ही विक्रय से वर्जित शब्द को विलोपित किया जा सकता है, इस प्रकार अपर कलेक्टर ने तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 231/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-5-10 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकगण के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ पक्षकारों के उपस्थित अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि पॅछीराम गुर्जर को वर्ष 1981-82 में पटटे पर दी गई थी जिसकी मृत्यु के वाद यह भूमि लोटन सिंह पुत्र पॅछीराम गुर्जर के नाम नामान्त्रित

हुई और यह भूमि डूब में चले जाने के कारण को मुआवजे के बजाय बदले में वादग्रस्त भूमि तहसीलदार नरबर व्दारा प्रकरण कमांक 1/89-90 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 17-10-89 को पटटे पर दी गई थी । लोटन सिंह के करने में वाद वादग्रस्त भूमि वर्ष 1981-82 में दिये गये पटटों पर अहस्तांतरणीय लिखे जाने के नियम/निर्देश नहीं थे वाद में अहस्तांतरणीय लिखे जाने के नियम/निर्देश आ जाने पर आदेश दिनांक 17-10-89 से दिये गये पटटे की भूमि पर अहस्तांतरणीय शब्द लिखा गया। प्रकरण में विचार योग्य है कि आदेश दिनांक 17-10-89 से दिये गये पटटे पर अहस्तांतरणीय लिख देना न्यायोचित है - वर्ष 1981-82 के कम में वादग्रस्त भूमि का पुर्नपटटा दिया गया है ऐसी स्थिति में इस पटटे की स्थिति वही होगी, जो वर्ष 1981-82 में दिये गये पटटे की थी। यदि काल्पनिक-तौर पर यह मान भी लिया जाय कि पटटे की भूमि पर लिखा गया अहस्तांतरणीय शब्द को हटाने एंव खसरा सॅशोधित करने के अधिकार तहसीलदार को हैं अथवा नहीं? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 114 सहपठित 115 एंव 116 - खसरा में त्रृटिपूर्ण प्रवष्टि सॅशोधित करने की तहसीलदार को अधिकारिता है । संहिता की धारा 114 के अधीन पटवारी व्दारा की गई प्रविष्टि यदि तहसीलदार दोषपूर्ण अथवा मिथ्या पाते हैं वह स्वयं धारा 115 के अंतर्गत अथवा पक्षकार के आवेदन पर धारा 116 के अंतर्गत दोषपूर्ण प्रविष्टि शुद्व कर सकते है। विचाराधीन प्रकरण में यही स्थिति है। वर्ष 1981-82 के पटटे के बदले में आदेश दिनांक 17-10-89 से दिये गये पुर्नपटटे की भूमि पर अहस्तांतरणीय शब्द को हटाने एंव खसरा सॅशोधित करने के आदेश देने की अधिकारिता तहसीलदार को है। अतएव इस सम्बन्ध में अपर कलेक्टर शिवपुरी व्दारा निगरानी कमांक 6/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 31-3-2008 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 231/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-5-10 दोषपूर्ण पाये गये हैं।

5/ प्रकरण के अवलोकन से स्थिति यह है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 17-8-2007 पारित करने के उपरांत तथा खसरे से विक्रय से बर्जित शब्द हटा देने के वाद भूमिस्वामी लोटन सिंह पुत्र पॅछीराम गुर्जर ने वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के हित में दिनांक 3-9-2007 को विक्रय कर दी एंव वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी केतागण आवेदक हो गये एंव वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी बन जाने के वाद तब क्या केतागण को पक्षकार बनाये बिना अपर कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत स्वमेव निगरानी प्रकरण प्रचलन योग्य है ? म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 धारा 50 सहपठित धारा 44 - प्रकरण में पक्षकारों का असंयोजन - वाद प्रचलन योग्य नहीं है, किन्तु इस पर अपर कलेक्टर शिवपुरी व्दारा निगरानी कमांक 6/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 31-3-2008 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 231/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-5-10 गौर न करने की त्रृटि की है।

6- पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के अवलोकन से विचार योग्य है कि क्या अपील योग्य आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय है ? म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 धारा 50 सहपठित धारा 44 - अपील योग्य आदेश - निगरानी श्रवण योग्य नहीं है - राजस्व मण्डल की अधिकारिता - अपील योग्य आदेश - राजस्व मण्डल में ही सीधी निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है। विचाराधीन प्रकरण में अपर कलेक्टर व्दारा तहसीलदार नरबर के प्रकरण कमांक 125/2006-07 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 17-8-2007 के विरूद्ध निगरानी श्रवण करने की भूल की गई और इस पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 231/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-5-10 में गौर न करने की भूल की है।

7- भूमिस्वामी लोटन सिंह पुत्र पॅछीराम गुर्जर व्दारा वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के हित में दिनांक 3-9-2007 को विक्रय कर देने के वाद भूमिस्वामी केतागण (आवेदकगण) हुये एंव पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार

पर केतागण का नामांतरण हुआ। ध्यान देने योगय है क्या पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को है? बद्रीप्रसाद बनाम चतुर्भुज 1984 राजस्व निर्णय 5 तथा गोरंगो बनाम डौलामणि 1984 राजस्व निर्णय 365 पैरा 5(7) के दृष्टांत है कि राजस्व न्यायालय की अधिकारिता सीमित है। किसी व्यक्ति को वैद्य स्वत्व का अर्जन हुआ है या नहीं केवल यह देखा जा सकता है, किसी दस्तावेज की वैधता या अवैधता या किसी दस्तावेज को रद्द करने का अधिकार केवल सिविल कोर्ट को है। इस प्रकार अपर कलेक्टर द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र को अनदेखा करते हुये आदेश पारित किया है जिसके कारण अपर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा निगरानी क्रमांक 6/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 31-8-08 तथा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 231/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-5-10 निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदक को विचारण न्यायालय के विरूद्ध विधि अनुसार अपील करनी चाहिये, परन्तु उनके द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने में विधिक त्रुटि की, क्योंकि विचारण न्यायालय का आदेश अपील योग्य था।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 231/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-5-10 एवं अपर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा निगरान क्रमांक 6/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 31-3-08 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं आवेदक की निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार नरवर द्वारा प्रकरण क्रमांक 125/2006-07/अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 17-8-07 यथावत रखा जाता है। अनावेदक चाहे तो विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने के लिए व्यवहार न्यायालय में वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0
ग्वालियर